

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
—0—
//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 23/12/2022

क्रमांक 1523/1278/2021/स्था./चार :: राज्य शासन एतद्वारा सुश्री सुषमा तिकी, ज्येष्ठ संपरीक्षक, कार्यालय संयुक्त संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर को वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-08 से वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 में पदोन्नत करते हुए अस्थाई रूप से सहायक संचालक, कार्यालय उप संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़ में पदस्थ करता है।

2/ उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No. 91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & another एवं W.P. (S) No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Versus State of Chhattisgarh में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Sua 23/12/2022
(शांता खरे)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 1524/1278/2021/स्था./चार,

नवा रायपुर, दिनांक 23/12/2022

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय/वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
02. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
03. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
04. संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
05. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
06. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़
07. समस्त संयुक्त संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़
08. कलेक्टर, रायगढ़/सरगुजा
09. उप संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर/रायगढ़
10. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी/कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय अंबिकापुर/रायगढ़
11. संबंधित अधिकारी
12. आदेश फोल्डर हेतु

----- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

Sua 23/12/2022
अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग